(g) Sophisticated weapons have been provided to the police personnel deployed at the border,

(h) Water Wing of the BSF, Navy, Coast Guard and Customs have- been guarding the sea routes by conducting Joint patrolling to check smuggling of arms, explosives etc.

Illegal Immigrants

3094. SHRI V.N. GADGIL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total number of illegal immigrants in India;

(b) what action has been taken to deport them to their respective countries;

(c) how many have been deported so far; and

(d) how many have been deported since the present Government came to power?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (d) As the powers under the Foreigners Act, 1946 to identify, detect and deport foreign nationals residing illegally in various parts of the country have been entrusted to the State Govemmentv/Union Territory Administrations, such data is not centrally maintained.

The Government is, however, aware, of the problem of foreign nationals, including Bangladesh is who enter India surreptitiously from the neighbouring countries and are residing illegally in various parts of the country. Instructions have been issued to the State Govern-ments/UT Admns. from time to time, to intensify efforts to identify and deport such illegally staying foreign nationals.

आतंकवादियों द्वारा मारे गए अर्द्ध सैनिक दलों के जवानों और अधिकारियों के परिवारों को मआवजे का दिया जाना

3095. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में आतंकवादियों द्वारा मारे गअ अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों और अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(ख) उनके परिवारों को मुआवजे के भुगतान के लिए क्या क्या नियम है?

गृह मंत्री (श्री कृष्ण आडवाडी): (क) पिछले 2 वर्षों के दौरान आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेडों में केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के 232 कार्मिक मारे गए।

(ख) आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड में अपनी ड्यूटी निभाते हुए मारे गए कार्मिकों के परिवारों को निम्नलिखित सहायता दी जाती हैः

i. केन्द्र सरकार द्वारा 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान।
ii. केन्द्र सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना (सी.जी. ई. जी. आई. एस.) के अधीन देय बीमा राशि का भुगतान।
iii. उदारीकृत पेंशन प्रदान करना।
iv. अंशदायी लाभ निधि तथा विशेष राहत निधि आदि से वित्तीय सहायता।
v. राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई अनुग्रहपूर्वक राशि का भुगतान।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित मामलों में भी सहायता दी जाती है:

i. बल के मृतक कार्मिक के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।
ii. विधवाओ को रेल भाडे में रियायत।
iii. विधवाओं को पेट्रोलियम उत्पादों की एजेन्सियों का आर्बटन।
iv. कुछ वित्तीय सहायता के अलावा विधवाओं का बिना किसी खर्च के पुनर्विवाह करवा कर उनका पुनर्वास करना।

न्यायिक हिरासत में हुई मौतें

3096. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे **कि**:

(क) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों में कानूनी हिरासत में विभन्न पुलिस थानों और तिहाड़ जेल में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) इनमें से कितनी मौतें स्वाभाविक और कितनी अस्वाभाविक थी;